न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी – प्रभा गौतम (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
159/2025(रा.अ.) (GCMS 2025/159)	**23.12.2025**	**09.02.2026**

अनवान

गोवर्धनलाल पिता गोटूलाल जाति खटीक उम्र 58 वर्ष निवासी राणावतों की सादडी तहसील भूपालसागर जिला चित्तौड़गढ़।

अपीलार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, भूपालसागर तहसील भूपालसागर जिला चित्तौड़गढ़।

प्रत्यर्थी

उपस्थिति :– राजेन्द्र राजौरा — अपीलार्थी
भैरूलाल सालवी (राजकीय अधिवक्ता) — प्रत्यर्थी

प्रथम अपील विरूद्ध निर्णय न्यायालय तहसीलदार भूपालसागर प्रकरण संख्या 093/2025 फैसल तारीख 26.11.2025 अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956

–:: निर्णय ::–

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी ने अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत विरूद्ध प्रत्यर्थीगण के तहसीलदार भूपालसागर तहसील भूपालसागर प्रकरण संख्या 093/2025 अनवानी राजस्थान सरकार जरिये पटवारी हल्का पटोलिया बनाम गोवर्धनलाल अन्तर्गत धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 निर्णय दिनांक 26.11.2025 से असंतुष्ट होकर हस्तगत अपील अन्दर मियाद पेश की गई हैं।

इस पर अपील अपीलार्थी दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रत्यर्थी को जरिये नोटिस के तलब किया गया। प्रत्यर्थी की और से राजकीय अधिवक्ता हाजिर आये। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख तलब किया गया। इस पर तहसीलदार भूपालसागर के पत्रांक/राजस्व/2026/63 दिनांक 20.01.2026 से से उनकी मूल पत्रावली संख्या 093/2025 निर्णय दिनांक 26.11.2025 अनवानी राजस्थान सरकार जरिये पटवारी हल्का पटोलिया बनाम गोवर्धनलाल अन्तर्गत धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 को प्रेषित की गई जो कि रिकार्ड पर होकर पत्रावली के हम किता है। अपील

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अपीलार्थी अन्दर मियाद पेश की गई है। प्रकरण में बहस उभयपक्षकारान सुनी गई।

सर्वप्रथम विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपनी बहस में अपील मेमों में वर्णित तथ्यों को दोहराया एवं बताया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थी के विरूद्ध ग्राम राणावतों की सादडी तहसील भूपालसागर की नवीन आराजी संख्या 200 में से कुल रकबा 0.15 हैक्टेयर पर नाजायज कब्जा होना बताकर धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत अपीलार्थी को बिना सुने दिनांक 26.11.2025 को प्रार्थना–पत्र स्वीकार कर बेदखली एवं पैनाल्टी का निर्णय पारित कर दिया जो निर्णय न्याय नियमों के विपरित होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी को सुनवाई हेतु धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 का नोटिस जारी किया गया जिस पर दिनांक 11.11.2025 को अपीलार्थी मय वकील उपस्थित हुआ और जवाब का मौका लिया जिसके बाद दिनांक 26.11.2025 को अपीलार्थी ने जवाब एवं साक्ष्य का अवसर मांगा लेकिन अपीलार्थी की अनुपस्थिति बता कर अपीलार्थी को जवाब/सुनवाई का अवसर दिये बिना निर्णय पारित किया है जो निरस्त योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय में हल्का पटवारी द्वारा मौका रिपोर्ट दिनांक 26.08.2025 की अपीलार्थी को कोई जानकारी के बिना और मन मकसूद तरीके से रिपोर्ट पेश की गई। इस प्रकार मौका रिपोर्ट संदिग्ध होने से निर्णय निरस्त योग्य है।

इस पर विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार भूपालसागर से प्राप्त मूल अभिलेख पत्रावली का दृष्टिपात कराया एवं बताया कि मौजा राणावतों की सादडी की आराजी संख्या 200 रकबा 1.07 हैक्टेयर किस्म भूमि चरागाह दर्ज रेकार्ड है। उक्त भूमि में से अपीलार्थी का रकबा 0.15 हैक्टेयर पर अनाधिकृत कब्जा होने से अपीलार्थी के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही प्रारम्भ की गई, किस्म भूमि चरागाह होने से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 अनुसार उक्त भूमि पर खातेदारी अधिकारों उद्यभूत नहीं होते हैं। विवादित आराजीयात किस्म भूमि चरागाह अभिलिखित है एवं चरागाह की भूमि पशुओं की चराई के लिये आरक्षित होती हैं, जिस पर अतिक्रमण पाये जाने पर कठोरतम कार्यवाही की जानी चाहिये। इसके साथ ही अपीलार्थी द्वारा स्वयं अपने अपील मेमों में आराजीयात जैरबहस पर अपना अतिक्रमण होना स्वीकार किया है, ऐसी स्थिति में चरागाह भूमि पर अतिक्रमण को प्रोत्साहन नहीं दिया जा सकता है।

अपीलार्थी का कब्जा चरागाह भूमि पर होने से नियमन की पात्रता नहीं रखता है, जिससे अपीलार्थी की अपील सारहीन होकर खारीज किये जाने योग्य है। वर्तमान में प्रचलित नियमों के अनुसार चरागाह भूमि आवंटन/नियमन योग्य नहीं है। इसके साथ ही अपीलार्थी द्वारा जो अपील में जो आवंटन/नियमन के तथ्य उठाये गये है, उन तथ्यों के आधार पर निर्णय नहीं किया जा सकता है, क्योंकि आराजीयात जैरबहस वर्तमान में चरागाह दर्ज रेकार्ड है, एवं अधीनस्थ तहसीलदार भूपालसागर द्वारा वर्तमान राजस्व रेकार्ड

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अनुसार अपीलार्थी के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही प्रस्तावित की गई हैं, जिसमें अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि अनुसार निर्णय पारित किया गया है, अतः तहसीलदार, भूपालसागर के निर्णय में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की गुंजाईश नहीं होने से अपील अपीलार्थी खारिज किये जाने योग्य है। इसी ईश्तदुआ के साथ विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस पत्रावली समाप्त की।

इस पर बहस रिवटल में विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी ने बताया कि विवादित आराजी संख्या 200 भू-प्रबंध से पूर्व पुराने आराजी संख्या 155 से बने है तथ आराजी संख्या 200 के आस-पास अपीलार्थी के खातेदारी की नवीन आराजी संख्या 216, 217, 217 स्थित हैं जिसके भी पुराने नंबर 155/8 हैं जिसक कारण 155/8 अपीलार्थी के पिता के नाम पर दिनांक 07.09.1970 को आवंटित हुई जिसका इंतकाल नंबर 128 दिनांक 02.01.1971 को खोला गया लेकिन दौराने सेटलमेंट जो नक्शा बनाया गया हैं उसमें फेरबदल कर अपीलार्थी की आराजी को बाहर निकालकर चरनोट में दर्ज कर दिया है जिसकी जानकारी होने पर अपीलार्थी ने दिनांक 08.12.2025 को उपखण्ड अधिकारी भूपालसागर के यहां धारा 131, 136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत इन्द्राज दुरूस्ती का प्रार्थना-पत्र पेश कर रखा है जो भी विचाराधीन हैं।

इन तथ्यों के संबंध में अपीलार्थी ने दिनांक 11.12.2025 को तहसीलदार के यहां जाकर अपना जवाब पेश किया तो जवाब लेकर बताया की धारा 91 की कार्यवाही का फैसल दिनांक 26.11.2025 को हो गया है जिससे भी स्पष्ट है कि विवादित आराजीयात अपीलार्थी के पिता के समय से आवंटित होकर विरासत से अपीलार्थी का कब्जा काश्त चला आ रहा हैं लेकिन सेटलमेंट कर्मचारियों की भूल से नक्शें में फेरबदल कर चरनोट की तरफ नक्शा बढा दिया है जिससे भी अपीलार्थी उक्त आशय के तहत एवं उनकों साबित कराने हेतु उनके दस्तावेज पेश नहीं कर पाया जिससे अपीलार्थी को प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों से वंचित होना पडा हैं जिससे भी अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपीलार्थी को बिना सुने किया जाने से अपीलर्थी के विरूद्ध निर्णय किया जाने से भारी कानूनी अवैधानिकता की है।

प्रकरण में अपीलार्थी को जवाब व बचाव के लिए अवसर नहीं दिया गया है, साथ ही पटवारी के बयान भी नहीं हुए एवं पश्चात्वर्ती अतिक्रमण भी प्रमाणित नहीं हुआ है तथा अपीलार्थी को कार्यवाही से बचने के लिए न्याय के सिद्धांतों के अनुसार न तो साक्ष्य न ही सबूत प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया। भूमि के संबंध में अपीलार्थी के खिलाफ अतिक्रमण की कार्यवाही कर निर्णय पारित किया है जो विधि द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों के विपरित होने से निरस्त किये जाने योग्य है, अन्त प्रार्थना की गई कि अपील प्रार्थी/अपीलार्थी स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार भूपालसागर के द्वारा जारी आदेश दिनांक 26.11.2025 को अपास्त किया जाकर प्रार्थी/अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व आदेश निरस्त फरमाया जावें। इसी ईश्तुदुआ के साथ विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी ने बहस पत्रावली

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

समाप्त की। हमने पत्रावली का आद्योपांत अवलोकन किया। पत्रावली को वास्ते निर्णय रिजर्व किया गया।

पत्रावली वास्ते निर्णय प्रस्तुत हुई। हमने पत्रावली का आद्योपांत अवलोकन किया। साथ ही पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य दस्तावेज का अवलोकन/परिशीलन किया। उभयपक्ष द्वारा की गई बहस पत्रावली का चिंतन-मनन किया। हस्तगत अपील के संबंध में निर्णय के बिन्दु पर विचार करने में न्यायालय के समक्ष निर्णय का बिन्दु यह उभर कर आता है कि - ''**अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार भूपालसागर द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 26.11.2025 विधि अनुसार पारित किया गया है या नहीं, अगर नहीं तो निर्णय क्या होगा ?**''

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91 के तहत व्यवस्था की गई है कि :-

91. Unauthorlsed occupation of Land - (1) Any person who occupies or continues to occupy any land without lawful monthly shall be regarded as a trespasser and may be summarily evicted there from by the Tehsildar at any time of his motion or upon the application of a local authority at whose disposal such land has been placed, and 69[any crop standing, or any} building or other construction erected. or anything deposited on such land shall, if not removed with in such reasonable time as the Tehsildar may from time to time fix for the purpose, be liable to be forfeited to the State and to be disposed of 1[in the case of any such crop, in the manner he thinks fit and in other cases] as the Collector may direct:

Provided that the Tehsildar may in lieu of ordering the forfeiture of any such building or other construction, order the demolition of the whole or any part thereof.

अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त मूल अभिलेखों का गहनता पूर्वक अवलोकन/परिशीलन किया। उभयपक्ष द्वारा की गई बहस पत्रावली का मनन किया। हमने राजस्व विधियों का गहनता पूर्वक चित्त मन से शांति पूर्वक चिंतन-मनन किया। आराजीयात जैरबहस चरागाह दर्ज रेकार्ड है जिसके हितों की रक्षा करने का भार विधि अनुसार तहसीलदार में निहित है एवं पटवारी हल्का के प्रतिवेदन के आधार पर तहसीलदार भूपालसागर ने राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत प्रारम्भ करते हुए अपीलार्थी को विधि अनुसार नोटिस प्रेषित कर अपीलार्थी को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया जिसकी पुष्ठि अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त मूल अभिलेख पत्रावली से होती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी को विधि अनुसार नोटिस जारी कर प्रकरण में कार्यवाही प्रारम्भ की गई है।

यहॉ उल्लेखनीय है कि अधिनियम 1956 की धारा 91 में प्रावधिक किया गया है कि कोई भी व्यक्ति जो विधिसम्मत प्राधिकार के बिना किसी भूमि पर कब्जा करता है या कब्जा करना जारी रखता हैं, उसे अतिचारी माना जाएगा और तहसीलदार द्वारा उसके प्रस्ताव पर या किसी स्थानीय प्राधिकारी के आवेदन पर, जिसके अधीन ऐसी भूमि रखी गई हैं, किसी भी समय उसे वहां से सरसरी तौर पर बेदखल किया जा सकता हैं; और ऐसी भूमि पर खड़ी कोई फसल, या निर्मित कोई भवन या अन्य निर्माण, या जमा की गई कोई वस्तु, यदि ऐसे उचित समय के भीतर नहीं

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

हटाई जाती, जिसे तहसीलदार समय–समय पर इस प्रयोजन के लिए निर्धारित करे, तो राज्य को जब्त कर ली जाएगी और ऐसी किसी भी फसल के मामले में उसका निपटान उस तरीके से किया जाएगा, जिसे वह ठीक समझे और अन्य मामलों में, जैसा कलक्टर निर्देश प्रदान करे, बशर्ते कि तहसीलदार ऐसे किसी भवन या अन्य निर्माण को जब्त करने का आदेश देने के बदले में, उसके पूरे या किसी भाग को ध्वस्त करने का आदेश दे सकता है, तथा प्रत्येक पश्चातवर्ती अतिचार के मामले में, उसे तहसीलदार के आदेश से, तीन माह तक की अवधि के लिए सिविल कारागार में भेजा जा सकता है।

अपीलार्थी द्वारा स्वयं अतिक्रमण किया जाना अपील मेमों में अंकित किया गया है। जहां तक अपीलार्थी द्वारा आवंटन/नियमन के तथ्य को उठाया गया है कि इस संबंध में उल्लेखनीय है कि आराजीयात जैरबहस जो कि अपीलार्थी की वर्तमान में अतिक्रमित भूमि है वर्तमान राजस्व रेकार्ड में चरागाह दर्जरिकार्ड है। आवंटन/नियमन के संबंध में किसी भी प्रकार से अभिवचन/विश्लेषण किया जाना हस्तगत प्रकरण की परिधि से भिन्न विषय है जिसके संबंध में किसी भी प्रकार का विवेचन/विश्लेषण हस्तगत प्रथम अपील में किया जाना समीचीन नहीं होना। **हस्तगत प्रकरण का निर्णय का आधार बिन्दु वर्तमान राजस्व रेकार्ड में प्रश्नगत आराजीयात चरागाह भूमि दर्ज होना ही है।**

अपीलार्थी द्वारा पूर्व वर्षो में अतिक्रमण का तथ्य उठाया गया है। अतिक्रमित भूमि पर लागत लगाने का प्रश्न है, यहॉ उल्लेखनीय है कि विभिन्न उच्च न्यायालयों द्वारा प्रतिपादित किया गया है कि सार्वजनिक प्रयोजनार्थ भूमियों के संबंध में लागत लगाने या भूमि सुधार करने या कब्जा पुराना होने से कोई भी अतिक्रमी भूमि का मालिक या भूमि पर आधिपत्य रखने का अधिकारी नहीं हो जाता है। इस संबंध में **माननीय उच्चतम न्यायालय** द्वारा सिविल अपील संख्या **1132/2011 जगपाल सिंह** व अन्य बनाम पंजाब राज्य व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 28.01.2011 से निर्देश प्रदान किये गये है कि अवैधताओं को नियमित नहीं किया जा सकता। ग्रामीणों के साझा हितों को केवल इसलिए प्रभावित नहीं होने दिया जा सकता क्योंकि अनधिकृत कब्ज़ा कई वर्षों से जारी है। यहॉ प्रश्नगत भूमि सार्वजनिक होन के साथ ही राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 से पूर्णतः प्रतिबंधित श्रेणी की होने से किसी भी प्रकार से निजी उपयोग–उपभोग हेतु प्रयोग में नहीं ली जा सकती है, ऐसे में अपीलार्थी द्वारा उठाया गया लम्बे समय से कब्जे का तथ्य पूर्णतः सारहीन हो जाता है।

इसी प्रकार **माननीय उच्चतम न्यायालय** द्वारा एम.आई. बिल्डर्स (पी) लिमिटेड बनाम राधेश्याम साहू, **1999(6) एससीसी 464** में 100 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से निर्मित एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के विध्वंस के बाद एक पार्क के जीर्णोद्धार का आदेश दिया था। फ्रेंड्स कॉलोनी डेवलपमेंट कमेटी बनाम उड़ीसा राज्य, **2004 (8) एससीसी 733** में माननीय उच्चतम न्यायालय ने माना कि जहां कानून गैर–स्वीकृत निर्माणों की प्रशमन **(Compounding)** करने की अनुमति देता है, वहां भी ऐसा प्रशमन **(Compounding)** केवल

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अपवाद के रूप में होना चाहिए। इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा परिपत्र क्रमांकः प.10(3)राज–6/2001/08 दिनांक 26.07.2017 से निर्देश जारी किये गये है कि चरागाह आरण जोहड श्मशान कब्रिस्तान आदि शामलात भूमि पर हुये अतिक्रमणों से मुक्त कराने हेतु राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही की जावें। हस्तगत प्रकरण में अधीनस्थ तहसीलदार भूपालसागर द्वारा अधिनियम 1956 के प्रावधानों के तहत की कार्यवाही किया जाना प्रतिवेदित होता है।

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 में चरागाह भूमि को उस श्रेणी में रखा गया है जिस पर खातेदारी अधिकार प्रोद्भूत नहीं हो सकते है। राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सरकारी भूमि आवंटन के संबंध में बनाये गये नियमों में भी उस श्रेणी की भूमियों को आवंटन से प्रतिबंधित किया गया है। इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक प.9(17)राज–6/2017/09 दिनांक 06.01.2021 के केवल मात्र आत्यंतिक आवश्यकताओं के लिये वर्णित प्रयोजनार्थ हेतु चरागाह भूमि के वर्गीकरण परिवर्तन कर आवंटन किये जाने के प्रावधान प्रावधित है। इस संबंध में माननीय उच्च न्यायालयों द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों एवं राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी परिपत्रों/नियमों एवं आदेशों में वर्णित दिशा–निर्देशों की पालना में अतिक्रमित चरागाह भूमि से अतिक्रमण हटा कर मूल स्वरूप में लाया जाना ही एकमात्र विकल्प है।

हस्तगत प्रकरण में अधीनस्थ तहसीलदार भूपालसागर द्वारा अपीलार्थी को विधिक प्रावधानों के अध्यधीन अपीलार्थी को नोटिस कर सुनवाई प्रारम्भ की तथा अपीलार्थी के उपस्थित होने पर समस्त तथ्यों को परीक्षण करने के पश्चात् ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय दिनांक 26.11.2025 पारित किया जाना जाहिर होता है। इससे यह तथ्य प्रमाणित पाया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार भूपालसागर द्वारा विधि अनुसार कार्यवाही करके विधिक प्रावधानों के तहत सुनवाई का प्रकरण की समुचित कर अपीलार्थी को सुनवाई का पर्याप्त अवसर प्रदान करते हुए बेदखली, शास्ति आरोपण किया गया।

चरागाह भूमि के संबंध में राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही किये जाने बाबत् संबंधित तहसीलदार को विधि अनुसार शक्तियां प्राप्त है ताकि राजकीय भूमि पर अवैधानिक/जबरन/कब्जे/अतिक्रमण को रोका जा सके, ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार भूपालसागर द्वारा अपीलार्थी को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 2(44) अनुसार अतिक्रमी करार दिया जाना उचित प्रतीत होता है। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य एवं दस्तावेजात के परिशीलन से निर्णय के बिन्दु पर विचार किये जाने पर यह तथ्य न्यायालय के समक्ष प्रकट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार भूपालसागर द्वारा अपीलाधीन निर्णय दिनांक 26.11.2025 में किसी भी प्रकार से कोई विधिक एवं प्रक्रियात्मक त्रुटि परिलक्षित नहीं होती है एवं अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार भूपालसागर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 26.11.2025

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

विधि सम्मत होकर इसमे किसी प्रकार के संशोधन एवं हस्तक्षेप किये जाने की आवश्यकता प्रतीत नही होती हैं, जिससे अपीलाधीन निर्णय दिनांक 26.11.2025 संपुष्ट किये जाने योग्य है।

उपर्युक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर न्यायालय हाजा में विचाराधीन राजस्व अपील प्रकरण संख्या 159/2025(रा.अ.) अनवानी गोवर्धनलाल बनाम सरकार अपील अपीलार्थी गुणावगुण पर सारहीन एवं बलहीन होने से खारीज की जाती है, एवं अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार भूपालसागर द्वारा अपने प्रकरण संख्या 093/2025 निर्णय दिनांक 26.11.2025 अनवानी सरकार बनाम गोवर्धनलाल को यथावत रखा जाता हैं। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मय निर्णय की प्रति के नियमानुसार भिजवाया जावे। पत्रावली की गणना निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही के अभिलेखागार भिजवाई जावे।

यह निर्णय खुले न्यायालय में आज दिनांक **09.02.2026** को लिखाया जाकर सुनाया गया।

(**प्रभा गौतम**)
अतिरिक्त कलक्टर,
(प्रशासन) चित्तौड़गढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official